

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

प्रकरण क्र./0199/अ-20(3)/2022-23 | 607



जल संसाधन विभाग भोपाल (म.प्र.)
द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी (म.प्र.)
(वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भूमि आवंटन प्रदान)

//आदेश//
(आज दिनांक.....19/05/2023.....को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, जल संसाधन विभाग भोपाल (म.प्र.) द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी (म.प्र.) की ओर से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 06.03.2023 प्रस्तुत कर सनघटा (एर) मध्यम सिंचाई योजना के डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के बदले राजस्व भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को ग्राम डोगरी तहसील शिवपुरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 197 रकबा 54.640 है. आवंटन किये जाने की मांग की गई।

प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी से प्रतिवेदन तलब किया गया, जिसके अंतर्गत तहसीलदार वृत्त सुभाषपुरा तहसील शिवपुरी ने प्रकरण क्रमांक 0006/अ-20(3)/2022-23 में प्रतिवेदन दिनांक 10.04.2023 से प्रतिवेदित किया है कि, ग्राम डोगरी तहसील शिवपुरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 197 रकबा 54.640 है. भूमि सनघटा (एर) मध्यम सिंचाई योजना के डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के बदले राजस्व भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भूमि आवंटन के संबंध में उद्घोषणा का प्रकाशन कर आपत्तियां उत्पन्न हुई जिसमें नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। खसरा एवं अवश नक्शा लाल स्याही से चिह्नित होकर संलग्न है। तहसीलदार शिवपुरी ने प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी की ओर प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी ने प्रकरण क्रमांक 0052/अ-20(3)/2022-23 प्रतिवेदन दिनांक 13/04/2023 से तहसीलदार शिवपुरी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया है।

प्रकरण में कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी द्वारा पत्र क्रमांक 394 दिनांक 13.02.2023 प्रेषित कर अवगत कराया कि, ग्राम डोगरी तहसील शिवपुरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 197 रकबा 54.640 है. वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दिनांक 11.02.2023 को स्थल निरीक्षण किया गया वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया गया तथा वन विभाग के अधिकारी सामान्य वन मण्डल शिवपुरी द्वारा पत्र क्रमांक डीएम/2023/1153 दिनांक 16.03.2023 से ग्राम डोगरी तहसील शिवपुरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 197 रकबा 54.640 है. वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिये अनुशंसा प्रेषित किया गया।

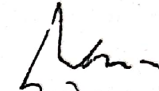
प्रकरण में आवेदित भूमि सनघटा (एर) मध्यम सिंचाई योजना के डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के बदले राजस्व भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आवंटित किए जाने के संबंध में जिला नजूल निर्वर्तन अधिकारी शिवपुरी के समक्ष प्रकरण रखा गया। समिति द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के प्रतिवेदन के आधार पर भूमि आवंटित किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शिवपुरी एवं तहसीलदार शिवपुरी के प्रतिवेदन, ग्राम पंचायत करईकेरऊ जनपद पंचायत शिवपुरी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 02 दिनांक 01/03/2023, नगर तथा ग्राम निवेश की अनापत्ति, जिला नजूल भूमि निर्वर्तन समिति की अनुमति आदेश आधार पर हेतु हेतु ग्राम डोगरी तहसील शिवपुरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 197 रकबा 54.640 हे. भूमि सनघटा(ऐर) मध्यम सिंचाई योजना के डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के बदले राजस्व भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भूमि राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-1 एवं मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कण्डिका 16 के तहत मध्यप्रदेश शासन वन विभाग भोपाल (म.प्र.) को बिना प्रब्याजी एवं भू-भाटक से मुक्त निम्न शर्तों के अधीन आवंटित की जाती है।

1. जल भराव, डूब क्षेत्र व विधुत प्रभावित क्षेत्र में यह अनापत्ति मान्य नहीं होगी;
2. प्रश्राधीन भूमि पूर्व में किसी अन्य प्रयोजन हेतु आवंटित न हो;
3. विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों का पालन किया जाना आवश्यक होगा;

प्रकरण में संलग्न अक्श-नक्शा भी आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार शिवपुरी आवंटित भूमि का दस्तखत अमल कराये एवं संबंधित विभाग को सीमांकन कराकर आधिपत्य दिलाया जाकर खसरा की प्रति प्रकरण में संलग्न कराये। बाद कार्यवाही प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड किया जावे।

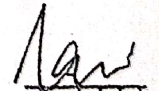



कलेक्टर
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

शिवपुरी दिनांक 19/05/23

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. तहसीलदार शिवपुरी की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि भूमि का राजस्व अभिलेख में अमल कराया जाकर संबंधित विभाग को भूमि का सीमांकन कराया जाकर अधिपत्य दिलाये एवं रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करें।
8. अधीक्षक भू-अभिलेख शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. राजस्व निरीक्षक नजूल (भू-अभिलेख) शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग शिवपुरी (म.प्र.)

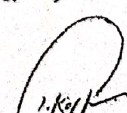

कलेक्टर
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

पृ. 5 11/29

प्रतिलिपि, कार्य/संसाधन वन शक्ति

अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन
सर्वेक्षण उप संभाग डिबोर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अतिरिक्त

136


कलेक्टर
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

प्रकरण क्र. 0198/अ-20(3)/2022-23 / 606



मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग भोपाल (म.प्र.)
द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी (म.प्र.)
(वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भूमि आवंटन बाबत)

//आदेश//
(आज दिनांक 19/05/2023 को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग भोपाल (म.प्र.) द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी (म.प्र.) की ओर से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 06.03.2023 प्रस्तुत कर सनघटा(एर) मध्यम सिंचाई योजना के डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के बदले राजस्व भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम झिरनिया तहसील शिवपुरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 02 रकबा 69.710 है, सर्वे क्रमांक 05 रकबा 18.40 है, सर्वे क्रमांक 06 रकबा 20.710 है, एवं सर्वे क्रमांक 40/2 रकबा 145.57 है, में से 80.06 है, इस प्रकार कुल 188.880 है, भूमि वन विभाग को आवंटन किये जाने की मांग की गई।

प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी से प्रतिवेदन तलब किया गया, जिसके अंतर्गत नायाब तहसीलदार वृत्त सुभाषपुरा तहसील शिवपुरी ने प्रकरण क्रमांक 0007/अ-20(3)/2022-23 में प्रतिवेदन दिनांक 10/04/2023 से प्रतिवेदित किया है कि, ग्राम झिरनिया तहसील शिवपुरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 02 रकबा 69.710 है, सर्वे क्रमांक 05 रकबा 18.40 है, सर्वे क्रमांक 06 रकबा 20.710 है, एवं सर्वे क्रमांक 40/2 रकबा 145.57 है, में से 80.06 है, इस प्रकार कुल 188.880 है, भूमि सनघटा(एर) मध्यम सिंचाई योजना के डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के बदले राजस्व भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भूमि आवंटन के संबंध में उद्घोषणा का प्रकाशन कर आपत्तियां बुलाई गई जिसमें नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। खसरा एवं अक्श नक्शा लाल स्थ ही से चिह्नित लेकर प्रति संलग्न है। नायाब तहसीलदार वृत्त सुभाषपुरा ने प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी की ओर प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी ने प्रकरण क्रमांक 0055/अ-20(3)/2022-23 प्रतिवेदन दिनांक 13/04/2023 से नायाब तहसीलदार वृत्त सुभाषपुरा के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय को अग्रेषित किया गया है।

प्रकरण में कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी द्वारा पत्र क्रमांक 394 दिनांक 13.02.2023 प्रेषित कर आवंटन कराया कि, ग्राम झिरनिया तहसील शिवपुरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 02 रकबा 69.710 है, सर्वे क्रमांक 05 रकबा 18.40 है, सर्वे क्रमांक 06 रकबा 20.710 है, एवं सर्वे क्रमांक 40/2 रकबा 145.57 है, में से 80.06 है, इस प्रकार कुल 188.880 है, का वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दिनांक 11.02.2023 को स्थल निरीक्षण किया गया वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया गया तथा वन मण्डल अधिकारी सामान्य वन मण्डल शिवपुरी द्वारा पत्र क्रमांक डीएम/2023/1153 दिनांक 16.03.2023 से ग्राम झिरनिया तहसील शिवपुरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 02 रकबा 69.710 है, सर्वे क्रमांक 05 रकबा 18.40 है, सर्वे क्रमांक 06 रकबा 20.710 है, एवं सर्वे क्रमांक 40/2 रकबा 145.57 है, में से 80.06 है, इस प्रकार कुल 188.880 है, वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिये उपयुक्त होना बताया गया।

प्रकरण में आवेदित भूमि सनघटा(एर) मध्यम सिंचाई योजना के डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के बदले राजस्व भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आवंटित किए जाने के संबंध में जिला नजूल निर्वर्तन समिति शिवपुरी के

h

समाप्त प्रकरण रखा गया। समिति द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के प्रतिवेदन के आधार पर भूमि आवंटित किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शिवपुरी के तहसीलदार शिवपुरी के प्रतिवेदन, ग्राम पंचायत बम्हारी जनपद पंचायत शिवपुरी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 02 दिनांक 01/03/2023, नगर तथा ग्राम निवेश की अनुरूप, जिला नजूल भूमि निर्वर्तन समिति की अनुशंसा के आधार पर प्र. प्र. शिवपुरी तहसील शिवपुरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 02 रकबा 69.710 है, सर्वे क्रमांक 05 रकबा 18.40 है, सर्वे क्रमांक 06 रकबा 20.710 है, एवं सर्वे क्रमांक 40/2 रकबा 145.57 है, में से 80.06 है, इस प्रकार कुल 188.880 है, भूमि सनघटा(ऐर) मध्यम सिंचाई योजना के डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के बदले राजस्व भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-1 एवं मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कण्डिका 16 के तहत मध्यप्रदेश शासन वन विभाग भोपाल (म.प्र.) को बिना प्रब्याजी एवं भू-भाटक से मुक्त निम्न शर्तों के अधीन आवंटित की जाती है।

1. जल भराव, डूब क्षेत्र व विधुत प्रभावित क्षेत्र में यह अनापत्ति मान्य नहीं होगी;
2. प्रशाधीन भूमि पूर्व में किसी अन्य प्रयोजन हेतु आवंटित न हो;
3. विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों का पालन किया जाना आवश्यक होगा;

प्रकरण में संलग्न अवश-नक्शा भी आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार शिवपुरी आवंटित भूमि का खसरा नकल कराये एवं संबंधित विभाग को सीमांकन कराकर अधिपत्य दिलाया जाकर खसरा की प्रति प्रकरण में मलमल कराये। बाद कार्यवाही प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड किया जावे।

19/05/23
कलेक्टर
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

शिवपुरी दिनांक 19/05/23



प्रकरण/क्र. 0198/अ-20(3)/2022-23 / 606
प्रतिनिधि

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. तहसीलदार शिवपुरी की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि भूमि का राजस्व अभिलेख में अमल करवा जाकर संबंधित विभाग को भूमि का सीमांकन कराया जाकर अधिपत्य दिलाये एवं रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करें।
8. अधीक्षक भू-अभिलेख शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. राजस्व निरीक्षक नजूल (भू-अभिलेख) शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

राज्य शासन कार्यालय, भोपाल
जल संसाधन विभाग शिवपुरी (म.प्र.)

कलेक्टर

जिला शिवपुरी (म.प्र.)

क्र. 1124 A

कार्य/समस्या वन

प्रतिनिधि

संभाग जल संसाधन
जिला शिवपुरी

अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन
जिला शिवपुरी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

(विनोद कुमार शर्मा)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन विभाग

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी म.प्र.

प्र.क्र. / 106 / 2017-18/अ-20(3)/नजूल

ग्राम झिरनिया तहसील शिवपुरी में वन विभाग को 19.04.2018 में जलसंधारण विभाग की नवीन प्रस्तावित संरक्षण एवं ऐर (सनघटा) मध्य परियोजना के डूब क्षेत्र में वन भूमि जान के कारण बैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भूमि हस्तांतरण की मांग की गई है।

// आदेश //

(आज दिनांक 20-4-2018 का आगत)

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा टी.00/नजूल अ-20(3) में दिये गये निर्देश के पालन में जलसंधारण विभाग की नवीन प्रस्तावित संरक्षण एवं ऐर (सनघटा) मध्य परियोजना के डूब क्षेत्र में वन भूमि जान के कारण बैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम सिरसौद में वन विभाग को भूमि हस्तांतरण की मांग की गई है।

नायब तहसीलदार सुभाषपुरा के प्रतिवेदन दिनांक 19.04.2018 में उल्लेख किया गया है कि ग्राम झिरनिया स्थित भूमि सर्वे नम्बर 41 रकबा 123.70 हे० नोईयत शासकीय जंगल खुर्द को भू राजस्व संहिता की धारा 237(2) के तहत नोईयत परिवर्तन कर वन विभाग को बैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भूमि हस्तांतरित किये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रेषित किया है।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शिवपुरी के प्रतिवेदन दिनांक 20.04.2018 में उल्लेख किया गया है कि तहसीलदार झिरनिया के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ग्राम झिरनिया स्थित भूमि सर्वे नम्बर 41 रकबा 123.70 हे० नोईयत शासकीय जंगल खुर्द को भू राजस्व संहिता की धारा 237(2) के तहत नोईयत परिवर्तन करते हुये वन विभाग को बैकल्पिक वृक्षारोपण को हस्तांतरित कर वन विभाग को बैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भूमि हस्तांतरित की जाती है।

अतः अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शिवपुरी एवं नायब तहसीलदार सुभाषपुरा के प्रतिवेदन अनुसार भूमि सर्वे नम्बर 41 रकबा 123.70 हे० नोईयत शासकीय जंगल खुर्द को भू राजस्व संहिता की धारा 237(2) के तहत नोईयत परिवर्तन कर वन विभाग को बैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भूमि हस्तांतरित किये जाने हेतु भू राजस्व संहिता की धारा 237(2) के तहत नोईयत परिवर्तन कर वन विभाग को बैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भूमि हस्तांतरित की जाती है।

1. भूमि जिस प्रयोजन हेतु आवंटित की जा रही है उसका उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जावे, किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग किये जाने पर आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
2. आवंटित भूमि में से किसी प्रकार का उत्खनन नहीं किया जावेगा।

प्रकरण में सलग अवश नक्शा भी आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार शिवपुरी आवंटित भूमि का खसरा में अमल करायें एवं संबंधित विभाग को सीमांकन कराकर अधिपत्य दिलाया जाकर खसरा की प्रति प्रकरण में संलग्न करायें। वाद कार्यवाही प्रकरण गायब होकर दाखिल रिकार्ड किया जावे।

कलेक्टर

जिला शिवपुरी म.प्र.

पृ.क्र.मांक/ 106 / 17-18/ अ-20(3)/नजूल/2018/19/02

प्रतिलिपि 1-प्रमुख सचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की ओर सूचनाार्थ।

2-वनमण्डल अधिकारी जिला शिवपुरी की ओर सूचनाार्थ।

3-वनपरिक्षेत्र अधिकारी वनपरिक्षेत्र शिवपुरी की ओर सूचनाार्थ।

4-कार्यपालन यंत्री जलसंधारण शिवपुरी की ओर सूचनाार्थ।

5-अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

6-तहसीलदार शिवपुरी की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि भूमि का राजस्व अभिलेख में अमल करायें जाकर संबंधित विभाग को भूमि का सीमांकन कराया जाकर अधिपत्य दिलायें एवं रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करें।

7-राजस्व निरीक्षक नजूल (भू-अभिलेख) शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर

जिला शिवपुरी म.प्र.